PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Business Bhaskar, Faridabad
Saturday 8th March 2014, Page: 10
Width: 6.40 cms, Height: 25.93 cms, a4, Ref: pmin.2014-03-08.64.109

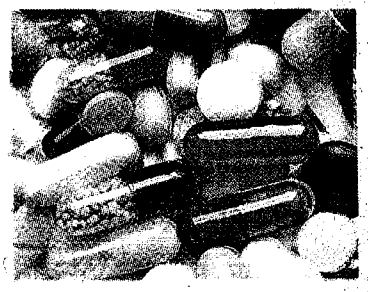

दवा संस्करणों की उपयोगिता जानेगी सरकार

महेंद्र सिंह ▶ नई दिल्ली...

केंद्र सरकार ने एक ही दवा के कई संस्करणों की इलाज में उपयोगिता का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया है। पैनल की सिफारिशों के आधार पर इन दवाओं के संस्करणों की कीमतों पर फैसला किया जाएगा। दवा कंपनियों ने पांच-छह मामलों में एक ही दवा के संस्करणों की कीमतें एक साथ क्लब करके तय करने की प्रक्रिया को चुनौती दी है।

डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि विभाग के पास पांच छह ऐसे मामले आए हैं जिनमें एक ही दवा के संस्करणों की कीमतों को चुनौती दी गई है। इनमें एक मामला कैंसर की दवा एंफोटेराफाइन बी का है। यह दवा कैंसर के लिए जिम्मेदार सेल पर अटैक करने के साथ रास्ते में आने वाले सभी ब्लड सेल्स पर हमला करती है। इससे शरीर की दूसरी सेल्स में भी जहरीले तत्व पैदा होते हैं। दवा कंपनी ने इसी दवा का दूसरा संस्करण लांच किया जो सिर्फ कैंसर के लिए जिम्मेदार सेल्स पर ही हमला करती है। यह दवा कोटेड है। इसकी कीमत लगभग 8,000 रुपये है जबकि साधारण एंफोटेराफाइन बी की कीमत मात्र 200 रुपये है। एनपीपीए ने दोनों संस्करणों को एक ही कैटेगरी में क्लब करके कोटेड संस्करण की कीमत 4,000 रुपये तय कर दी है। कंपनी ने इस कीमत को चुनौती देते हुए कहा है कि कोटेड संस्करण की कीमत अलग से तय की जाए। अधिकारी के मुताबिक इस तरह के मामले विशेषज्ञों के पैनल को रेफर किए गए हैं। पैनल इन मामलों में देखेगा कि एक ही दवा के अलग-अलग संस्करणों के प्रभाव में कितना अंतर है। इसके आधार पर इन दवाओं की कीमतों पर फैसला किया जाएगा। अधिकारी का कहना है कि ये दवाएं प्राइस कंट्रोल के दायरे में आती हैं। पैनल सिर्फ यह देखेगा कि इन दवाओं की कीमतें एनपीपीए ने सही तरीके से तय की है या नहीं।

चुनौती

एक ही दवा के संस्करणों को क्लब करके कीमतें तय करने के तरीके को दवा कंपनियों ने दी है चुनौती

उपयोगिता का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल बना है